


१८

सदस्य राजस्व मंडळ म.पु. खालियर कैम रीवा ।

न्यायालय श्रीमान् नेत्रोत्तम जिला रीवा म.पु. ।



रामबादुर कुशियाहा तनय स्व. श्री रामस्वामी कुशियाहा निवासी ग्राम -
पैपआर तहसील मनगवा॒ जिला रीवा म.पु.

----- निगरानी कर्ता ।

काम

- १- रामपुत्राप कुशियाहा तनय स्व. श्री वासुदेव कुशियाहा
 २- बेबा मधुरा पट्टनी छोटी श्री मधुरा प्रसाद कुशियाहा
 ३- मोहनलाल सभी के पिता स्व श्री मधुरा प्रसाद कुशियाहा
 ४- अंजनी कुमार
 ५- अमृतलाल
 ६- छोटकवा कुशियाहा
 ७- रामसीया कुशियाहा तनय श्री वेसाहू
 ८- शिष्य प्रसाद कुशियाहा तनय श्री रामस्वामी

----- सभी निवासी ग्राम पैपआर तहसील मनगवा॒ जिला
रीवा म.पु. ----- गैर निगरानी कर्ता गण ।

अधिवक्ता श्री भाष्टार
सुनेद द्वारा प्रख्युत
रीवा दि. ४.७.२०१२

M

निगरानी अन्तर्गत धोरा ५० म.पु.भ.रा.संविता
१९५९ इ० बाघतू किए गए गलत नक्शा तसीम के
स मूल्य में ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम है :-

- १- यहीक आराजी धोरा नं.२४१/७ रखा ०-३६४ है. व आराजी
नं.१११/८ रखा ०-३४४ है. स्थान ग्राम पहुंचा तहसील मनगवा॒ जिला रीवा


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. १४०५-८११२

जिला-शिवा

पक्षकार का नाम रामवहाइ कुशाहा / राम प्रहार कुशाहा

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2—आवेदक तथा आवैदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3— आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p>  <p>सदस्य</p>	